

थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-

अपर्णा गुप्ता पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में दिनांक 19.09.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा व श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम उ०नि० रमाकान्त शुक्ला द्वारा 03 नफर अभियुक्तों 1. प्रखर रुसिया पुत्र मनोज कुमार रुसिया उम्र करीब 26 वर्ष 2. अजय कुमार सेन पुत्र मुन्नालाल सेन उम्र करीब 30 वर्ष व 3. ज्ञान सिंह पुत्र स्व० नत्थू सिंह उम्र 31 वर्ष को ऐचाना तिराहा ग्राम सुरहा थाना कबरई से गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से क्रमशः प्रखर रुसिया के कब्जे 48 केन बीयर हायवर्डस, 500 ML प्रति केन अजय कुमार सेन के कब्जे 45 क्वार्टर देशी शराब ठेका ब्राण्ड झूम व ज्ञान सिंह के कब्जे 45 क्वार्टर देशी शराब ठेका ब्राण्ड झूम अवैध बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु०अ०सं० 247/2023, मु०अ०सं० 248/2023, मु०अ०सं० 249/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० रमाकान्त शुक्ला 2. हमराह कां० नरेन्द्र बाबू 3. कां० यादवेन्द्र यादव

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. प्रखर रुसिया पुत्र मनोज कुमार रुसिया उम्र करीब 26 वर्ष नि०ग्रा० छजमनपुरा थाना कोतवाली महोबा 2. अजय कुमार सेन पुत्र मुन्नालाल सेन उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम कहरा थाना खन्ना जनपद महोबा 3. ज्ञान सिंह पुत्र स्व० नत्थू सिंह उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम धवारी थाना खरेला महोबा



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने 550 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम एंव क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अवैध गांजा की बिक्री एवं तस्करी तथा उसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 19.09.2023 को थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा टीम का गठन किया गया । जिसमें उ.नि.सत्येन्द्र सिंह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त उमाकान्त राजपूत पुत्र स्व0 प्रताप सिंह राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा को सूपा तिराहे से पवा चौराहे के मध्य पुलिया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 550 ग्राम सूखा नाजायज गांजा बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 188/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ.नि.सत्येन्द्र सिंह
2. हे.का.संदीप कुमार थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी-

एक प्लास्टिक की पालीथिन में 550 ग्राम नाजायज सूखा गांजा बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

उमाकान्त राजपूत पुत्र स्व0 प्रताप सिंह राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा के निर्देशन में जनपद में अवैध जुआ/सट्टा के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 19.09.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा व श्री उमेश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में श्री गणेश कुमार, थानाध्यक्ष चरखारी द्वारा गठित की गयी टीम उ0नि0 शत्रुघन सिंह बुंदेला द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश पत्तों से हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तगणों 1.कालका प्रसाद पुत्र श्री कमलापति उम्र 49 वर्ष 2.गोपाल प्रजापति पुत्र मुन्ना उम्र 60 वर्ष 3.मोहनलाल पुत्र लल्लू प्रजापति उम्र 27 वर्ष 4.वीरेन्द्र उर्फ वीरू पुत्र लालदिवान प्रजापति उम्र 24 वर्ष समस्त निवासीगण मुहल्ला हटवारा कस्बा व थाना चरखारी महोबा को मुहल्ला हटवारा कस्बा चरखारी से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से मौके पर मालफड़ 1050 रुपये, 52 अदद ताश पत्ता व जामा तलाशी से 550 रुपये बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना चरखारी में मु.अ.सं. 187/23 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 शत्रुघन सिंह बुंदेला
2. का.चन्दन पांचाल
3. का.वीरेश्वर दत्त मिश्र
4. का.अनिल सोनकर
5. का.राम सिंह थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1. कालका प्रसाद पुत्र श्री कमलापति उम्र 49 वर्ष
2. गोपाल प्रजापति पुत्र मुन्ना उम्र 60 वर्ष
3. मोहनलाल पुत्र लल्लू प्रजापति उम्र 27 वर्ष
4. वीरेन्द्र उर्फ वीरू पुत्र लालदिवान प्रजापति उम्र 24 वर्ष समस्त निवासीगण मुहल्ला हटवारा कस्बा व थाना चरखारी महोबा



प्रेसविज्ञप्ति-थाना श्रीनगर, जनपद महोबा।

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने दिन दहाड़े हुई लूट की घटना का किया सफल अनावरण, ऑपरेशन दृष्टि के तहत लगाए गए कैमरों की मदद से किया खुलासा, सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए थे शातिर लुटेरे, घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल, नगद रुपये व घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद:-

दिनांक 15.09.2023 को थाना लवकुशनगर (म0प्र0) निवासी जितेन्द्र अनुरागी (वादी) मोटरसाइकिल से जनपद महोबा की ओर आ रहे थे इसी दौरान थाना श्रीनगर क्षेत्रअन्तर्गत सिजवाहा के पास 02 अज्ञात युवकों द्वारा दोपहर करीब 01.20 बजे लिफ्ट के बहाने मदद मांगी गयी, मोटरसाइकिल में बैठने के उपरान्त बिलहरी किशोरगंज मोड के पास अज्ञात युवकों ने चाकू के बल पर वादी उपरोक्त की मोटरसाइकिल व जेब में पड़े नगद रुपये निकाल लिए व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इस घटना की सूचना दिनांक 18.09.2023 को वादी द्वारा थाने में दी गई जिस पर थाना श्रीनगर में मु.अ.सं. 183/23 धारा 392/504/506 भादवि बनाम अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में थानाध्यक्ष श्रीनगर को घटना के सफल अनावरण हेतु जनपद महोबा में ऑपरेशन दृष्टि के तहत लगाये गये सीसीटीवी कैमरों की मदद लेकर घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये, निर्देश के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक एवं श्री उमेश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में अभियान ऑपरेशन दृष्टि के तहत श्री प्रवीण कुमार सिंह, थानाध्यक्ष श्रीनगर द्वारा थाना श्रीनगर में पंजीकृत हुए मु.अ.सं. 183/23 धारा 392/504/506 भादवि बनाम दो अज्ञात व्यक्ति की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में टीमों का गठन किया गया। ऑपरेशन दृष्टि के तहत थाना

क्षेत्रा अन्तर्गत जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया जिनकी मदद से दो अज्ञात लुटेरों की पहचान की गई जो क्रमशः 1.छोटू राजा उर्फ चंचल राजा पुत्र हिम्मत सिंह बुन्देला उम्र करीब 23 वर्ष नि0 ग्राम मवई थाना श्रीनगर जनपद महोबा, 2. राज राजा उर्फ यादवेन्द्र सिंह पुत्र गुमान सिंह परमार उम्र करीब 20 वर्ष नि0 ग्राम मवई थाना श्रीनगर जनपद महोबा की पहचान हुयी।

जिसके क्रम में गठित पुलिस टीम ने आज दिनांक 20.09.2023 को 02 नफर वांछित अभियुक्तों को बिलरही जाने वाली सड़क पर स्थित पुलिया बहद ग्राम बिलरही से गिरफ्तार किया, अभियुक्तों के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल, नगद रुपये व घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किये गये, अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 186/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम छोटू राजा उर्फ चंचल राजा पुत्र श्री हिम्मत सिंह बुन्देला उम्र करीब 23 वर्ष नि0 ग्राम मवई थाना श्रीनगर जनपद महोबा, मु0अ0सं0 187/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम राज राजा उर्फ यादवेन्द्र सिंह पुत्र गुमान सिंह परमार उम्र करीब 20 वर्ष नि0 ग्राम मवई थाना श्रीनगर जनपद महोबा पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 राजेश कुमार थाना श्रीनगर जनपद महोबा
2. कां0 अजय सोनकर
3. कां0 शीलू

गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी -

- छोटू राजा उर्फ चंचल राजा पुत्र श्री हिम्मत सिंह बुन्देला उम्र करीब 23 वर्ष नि० ग्राम मवई थाना श्रीनगर जनपद महोबा के कब्जे से एक अदद सफेद धातु की मोटी चैन (गले की) व 01 अदद चाकू सम्बन्धित मु०अ०सं० 186/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना श्रीनगर जनपद महोबा,
- राज राजा उर्फ यादवेन्द्र सिंह पुत्र गुमान सिंह परमार उम्र करीब 20 वर्ष नि० ग्राम मवई थाना श्रीनगर जनपद महोबा के कब्जे से 500 रु० व 01 अदद चाकू सम्बन्धित मु०अ०सं० 187/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट एवं मौके पर अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद मोटरसाइकिल नीले सफेद रंग की TVS STAR CITY + चे० नं० - MD625FF13H1E38879

आपराधिक इतिहास:-

- अपराधिक इतिहास अभियुक्त छोटू राजा उर्फ चंचल राजा पुत्र श्री हिम्मत सिंह उपरोक्त-
मु०अ०सं० 0124/20 धारा 380/411/457 भादवि थाना श्रीनगर जनपद महोबा
मु.अ.सं. 183/23 धारा 392/504/506 IPC थाना श्रीनगर जनपद महोबा
मु०अ०सं० 186/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना श्रीनगर जनपद महोबा
- अपराधिक इतिहास अभियुक्त राज राजा उर्फ यादवेन्द्र सिंह पुत्र गुमान सिंह उपरोक्त-
मु.अ.सं. 183/23 धारा 392/504/506 IPC थाना श्रीनगर जनपद महोबा
मु०अ०सं० 187/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना श्रीनगर जनपद महोबा

मु०अ०सं० 36/22 धारा 379 भादवि थाना बमीठा जनपद छतरपुर म०प्र०
मु०अ०सं० 41/22 धारा 379 भादवि ना बमीठा जनपद छतरपुर म०प्र०

नोट:- अभियुक्त राजराजा उपरोक्त जनपद छतरपुर म०प्र० से आदेश पु०अ०/छतर/ए.डी/ईनाम/40/23 दिनांक 12.04.23 को 3000/- रु० का इनामी अपराधी है जो फरार चल रहा था।



जनपदीय साइबर सेल की पुलिस टीम ने थाना कुलपहाड़ महोबा क्षेत्रअन्तर्गत मुढारी में जागरुकता चौपाल लगाकर स्थानीय लोगों को साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरुक, वितरित किये जागरुकता पम्पलेट्स- साइबर अपराध से बचाव हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा की पहल पर चलाया जा रहा है- “ऑपरेशन ज्ञान कवच”-

बढते हुये साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा की पहल पर साइबर अपराध से बचाव हेतु अभियान “ऑपरेशन ज्ञान कवच” चलाया जा रहा है, ऑपरेशन ज्ञान कवच अभियान के तहत आज दिनांक 20.09.2023 को श्री रवि कुमार सिंह, प्रभारी साइबर/सर्विलांस सेल के नेतृत्व में जनपदीय साइबर सेल पुलिस टीम क्रमशः कां. शैलेन्द्र प्रताप सिंह, कां. सत्यम सिंह, कां. सुरजीत कुमार व थाना कुलपहाड़ में नियुक्त उ.नि. हरिभजन गौतम, कां. अभिषेक द्वारा थाना कुलपहाड़ महोबा क्षेत्रअन्तर्गत मुढारी में स्थानीय लोगों को एकत्रित कर “ऑपरेशन ज्ञान कवच” अभियान के अन्तर्गत साइबर जागरुकता चौपाल का आयोजन कर गांव के सम्बन्धित सम्भ्रांत नागरिकों यथा- युवाओं, बुजुर्गों के साथ संवाद कर साइबर अपराध एवं उनकी रोकथाम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर साइबर जागरुकता पम्पलेट्स वितरित की गईं।

श्री रवि कुमार सिंह, प्रभारी साइबर/सर्विलांस सेल ने “ऑपरेशन ज्ञान कवच” अभियान के तहत साइबर अपराध से बचाव के तरीके में बताया कि किस तरीके से साइबर ठग एटीएम फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड/यूपीआई फ्रॉड, ऑनलाइन लॉटरी/ईनाम, शॉपिंग ऐप्स, गूगल सर्च में थोड़ी सी चूक पर गलत वेबसाइट में क्लिक हो जाने, एनीडेस्क क्विक सपोर्ट जैसे रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर भेजे गये लिंक के माध्यम से साइबर ठगी का शिकार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त युवाओं में आजकल ट्रैडिंग में चल रहे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे- फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयरचैट व व्हाट्सएप से संबंधित होने वाले विभिन्न अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी इनके बचाव के तरीकों को बताया गया साथ ही इस संबंध में उनसे अपील की गई कि अपने पारिवारिक जनों व पास-

पड़ोस के लोगों को भी साइबर अपराध के तरीकों व इनसे बचाव के तरीकों के संबंध में जागरुक करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ रहे साइबर अपराध से बचाया जा सके।

यदि किसी के साथ वित्तीय साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत www.cybercrime.gov.in/ साइबर सेल /संबंधित थानों पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि शीघ्र कार्यवाही कर आपकी मदद की जा सके।



थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध शस्त्रों की बिक्री एवं उनके निर्माण में प्रभावी रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व सुश्री हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 19.09.2023 को श्री लाखन सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ के द्वारा गठित की गयी उ.नि. हरिभजन गौतम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थानाक्षेत्र अन्तर्गत यात्री प्रतिकालय लाडपुर के पास से 01 नफर अभियुक्त रोहित राजपूत पुत्र जुगुल किशोर राजपूत उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम बनिया ताला माहिनपुर थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी 315 वोर (अद्धी) व 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। अभियुक्त के कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ में मु0अ0सं0 285/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का विवरण:-

रोहित राजपूत पुत्र जुगुल किशोर राजपूत उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम बनिया ताला माहिनपुर थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद तमंचा देशी 315 बोर (अद्धी), 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ.नि. हरिभजन गौतम थाना कुलपहाड़ महोबा
2. हे0कां0 वीरेन्द्र सिंह 3.कां0 जयवीर सिंह

